हरसिद्धि मंदिर के पास पांच कारखानों से छुड़ाए 38 बाल मजदूर, बिहार से आए थे पैसे कमाने

8 से 12 साल के बच्चों से 15 घंटे बनवाते थे बैग

इंदौर। हरसिद्धि मंदिर के पास बहुमंजिला इमारत स्थित पांच कारखानों से बुधवार को आठ से 12 साल के 38 बाल मजदूर मुक्त कराए गए। इनसे सुबह 8 से रात 12 बजे तक बैग बनवाने का काम कराया जाता था। बिहार से आए सभी बच्चे अनपढ़ हैं। मजदूरी के नाम पर उन्हें 500 से डेढ़ हजार रुपए महीना दिया जाता था।

एसडीएम, महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और पुलिस की टीम ने कारखाना मालिक मुस्लिम अंसारी, अब्दुल मलिक, अशोक गुप्ता, जमाल भाई सहित अन्य पर चालानी कार्रवाई की है। बच्चों ने बताया कि उन्हें सिर्फ खाने की छुट्टी दी जाती थी। उन्होंने बताया- परिवार की माली हालत ठीक नहीं है इसलिए वे यहां काम करने आए हैं। कोई बहन की शादी के लिए पैसे कमाने आया था तो कोई घर में दो वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए। **-नप्र**

मुंबई चाइल्ड लाइन ने इंदौर भेजी शिकायत

बाल श्रमिकों के रेस्क्यू की कार्रवाई करती टीम।

बच्चों के माता-पिता को बुलाएंगे

बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष साधना पराजपे, सदस्य डॉ. सुधा जैन और शबाना पारेख ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चों को अलग-अलग संस्थाओं में रखा गया है। उनके माता-पिता को बुलाया जाएगा। उनकी घर वापसी कराई जाएगी। अगर वे नहीं जाना चाहते तो यहां पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की जाएगी।

बाल मजदूरी की शिकायत मुंबई चाइल्ड लाइन को हुई थी। वहां से इंदौर फार्वर्ड हुई। पहले तीन-चार दिन तक क्षेत्र में रेकी की गई। इसके बाद कार्रवाई की गई। टीम के पहुंचते ही कारखानों में हड़कंप मच गया। मालिकों ने बच्चों को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। चाइल्ड लाइन के निदेशक वसीम इकबाल ने बताया कि बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग कर सभी बच्चों को सागर सामाजिक संस्था और श्रद्धानंद बाल आश्रम में रखा है।